ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-01, सैक्टर-के०पी०-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक- जल / 2022 / 806 दिनांक 19/04 2022

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के आवासीय, संस्थगत, औद्योगिक, व्यवसायिक, सामूहिक आवासीय (Ploted/Flated) के आवंटियों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सापेक्ष लिये जा रहे जलशुल्क की धनराशि को आंवटियों से वसूलने हेतु प्राधिकरण एवं आंवटी हित में प्राधिकरण की 126वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन करा कर एक O.T.S. (एक मुस्त समाधान) योजना लाई जा रही है, जिसमें आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि में जलशुल्क जमा करने पर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विवरण निम्नवत हैः-

A. दिनांक 31.03.2022 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि पर कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से 30 जून 2022 तक के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 40% की छूट अनुमन्य होगी।

B. दिनांक 31.03.2022 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि पर 01 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 30% की छूट अनुमन्य होगी।

C. दिनांक 31.03.2022 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि पर 01 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 20% की छूट अनुमन्य होगी।

D. दिनांक 31.03.2022 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि पर 01 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 10% की छूट अनुमन्य होगी।

E. 30 सितम्बर 2022 के उपरान्त लम्बित देय जल मूल्य पर ब्याज पर छूट की यह योजना स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा तत्समय लागू दरों के अनुसार ही वसूली की जायेगी।

<u>सामान्य शर्तेः-</u>

- आवंटी द्वारा प्राधिकरण की Official website "greaternoidaauthority.in" के माध्यम से Online भुगतान किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि समाप्ति उपरान्त इस योजना के लाभ हेतु किसी भी आवंटी द्वारा कोई भी वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है तथा प्राधिकरण योजना की तिथि को बढाने तथा घटाने का अधिकार प्राधिकरण अपने पास सुरक्षित रखता है।

अतः आवंटियों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुये निर्धारित तिथि में बकाया धनराशि भुगतान कराय जा सुनिश्चित करें।

19/4/22
(अमन दीप डुली)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी (सिस्टम) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी